चांद और क्षुद्र ग्रहों के खनिज का मालिक कौन?

हाल ही में गठित एक कंपनी प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ ने चांद तथा क्षुद्र ग्रहों पर खनन कार्य करने की योजना का ऐलान किया है और अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस घोषणा ने हड़कंप मचा दिया है।

प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ ने घोषणा की है कि दो वर्षों के अंदर वह पृथ्वी की निचली कक्षाओं में कुछ दूरबीनें भेजेगी और उन क्षुद्र ग्रहों की खोजबीन करेगी जो ठीक-ठाक साइज़ के हों और खनिज संपदा की दृष्टि से लाभदायक हों। जब ऐसा कोई उपयुक्त क्षुद्र ग्रह मिल जाएगा, तो कंपनी कुछ खोजी-रोबोट वहां भेजकर कीमती धातुओं की मात्रा वगैरह पता करेगी। यदि कीमती धातुओं की पर्याप्त मात्रा पाई गई तो फिर रोबोट भेजकर इसका खनन किया जाएगा। और तो और, यदि क्षुद्र ग्रह अपेक्षाकृत छोटा हुआ तो पहले उसे धकियाकर पृथ्वी की कक्षा में लाया जाएगा और फिर खनन कार्य किया जाएगा।

हालांकि अभी ये रोबोट वगैरह तैयार नहीं हैं मगर प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ की योजना काफी दूरदर्शी है। और अन्य कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। जैसे लास वेगास स्थित मून एक्सप्रेस नामक कंपनी चांद पर प्लेटिनम व अन्य धातुओं की रेकी करने की योजना बना रही है।

वैसे तो ये सारी बातें शेखचिल्ली की कहानियों जैसी लगती हैं मगर इसमें कोई शक नहीं कि जल्दी ही दुनिया को कुछ निहायत पेचीदा कानूनी मसलों से निपटना होगा। फिलहाल ऐसा लगता है कि चांद या क्षुद्र ग्रहों का दोहन करना कई मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगा।

ऐसा एक कानून है 1967 में विकसित राष्ट्र संघ की बाह्य अंतरिक्ष संधि। इसमें स्पष्ट कहा गया है: "बाह्य अंतरिक्ष की खोजबीन और उपयोग सारे देशों के लाभ के लिए किया जाएगा और यह पूरी मानव जाति का अधिकार क्षेत्र होगा।"

संधि में अंतरिक्ष में क्षेत्राधिकार की स्पष्ट मुमानियत है: "राज्य किसी क्षुद्र ग्रह पर क्षेत्राधिकार का दावा नहीं कर सकते।" इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की वकील जोअन व्हीलर का कहना है कि संधि में यह तो स्पष्ट किया गया है कि चांद और अन्य आकाशीय पिंडों पर राष्ट्रों का कब्ज़ा नहीं हो सकता। उनके अनुसार जो बात राज्यों पर लागू होती है वही कंपनियों पर लागू होगी। तो प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ किसी क्षुद्र ग्रह की मालिक नहीं बन सकती। यदि वह क्षुद्र ग्रह की मालिक नहीं बन सकती, तो उससे प्राप्त खनिज पर किसका अधिकार होगा? अभी कहना मुश्किल है। व्हीलर का कहना है कि आज भी उल्काओं के रूप में गिरने वाली चट्टानों का बाज़ार है - ये चट्टानें क्षुद्र ग्रह से ही तो आई हैं। तो इस आधार पर प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ का मामला मज़बूत नज़र आता है।

प्लेनेटरी रिसोर्सेज़ के सह-संस्थापक एरिक एंडरसन को तो लगता है कि उन्हें क्षुद्र ग्रह खनन का स्पष्ट अधिकार है क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष संधि में इसकी मनाही नहीं है। वे तो यहां तक मानते हैं कि 50 से 500 मीटर साइज़ के क्षुद्र ग्रह को 'आकाशीय पिंड' माना ही नहीं जा सकता।

कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि उक्त संधि में कोई दम नहीं है और इसे लागू करने के लिए कोई ताकत नहीं है। कोई भी देश एक साल का नोटिस देकर इससे बाहर हो सकता है। उनको तो लगता है कि एक बार खनन की क्षमता विकसित हो गई तो संधि धरी की धरी रह जाएगी।

जोअन व्हीलर मानती हैं कि अंतरिक्ष सम्बंधी कोई भी भावी कानून समुद्र पर लागू कानून जैसा होगा। समुद्र की मछली किसी की मिल्कियत नहीं हैं मगर आप उन्हें पकड़कर बेच सकते हैं। यही बात क्षुद्र ग्रहों पर भी लागू की जाएगी -

मालिक कोई नहीं होगा मगर खनन करके खनिज को बेचने का काम कोई भी कर सकेगा।

इस संदर्भ में एक और कानून चांद समझौता है। इसमें चांद के संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था है। मगर इस संधि का कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि आज तक एक भी राष्ट्र ने इसका अनुमोदन नहीं किया है।

एक कानूनी मसला और भी है। मान लीजिए कंपनी किसी क्षुद्र ग्रह को धकियाकर पृथ्वी के करीब लाती है मगर इस चक्कर में वह आकर पृथ्वी से टकरा जाता है। इसके परिणामों का ज़िम्मेदार कौन होगा? एक बार फिर, राष्ट्र संघ की एक संधि है - अंतरिक्ष जवाबदेही संधि। इस संधि में उस राष्ट्र को जवाबदेह बनाया गया है जिसके अंतरिक्ष यान से नुकसान हुआ हो। मगर यह संधि भी उस समय तैयार हुई थी जब अंतरिक्ष में खिलाड़ी सिर्फ राष्ट्र थे। आज इतनी सारी कंपनियां अंतरिक्ष यान उड़ा रही हैं, तो जवाबदेही सुनिश्चित करना भी एक समस्या होगी। इसीलिए जापान व यूएस जवाबदेही की कोई नई व्यवस्था विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जब हमारे देश में धरती पर ही खनन को लेकर इतना भीषण संघर्ष चल रहा है और खनन माफिया हावी हो रहा है, तब आकाश में ये लड़ाइयां क्या रूप लेंगी, इसकी कल्पना मुश्किल नहीं है। ***(स्रोत फीचर्स)***